



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032026-270908
CG-DL-E-13032026-270908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1213]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1213]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1270(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित शामली-गोरखपुर हाई-स्पीड एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर के किमी 578.380 से किमी 658.564 तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी 613.4 से कि.मी 658.564 तक	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	बाँसी 1 इटवा 1 डुमरियागंज 1 2	मिठवल कला तप्पा असनार दुबायल पाण्डेय हरना खुरी सिरसिया तप्पा-करही

